प्रेषक

महानिरीक्षक निबन्धन
उत्तर प्रदेश,शिविर लखनऊ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश।

संख्याः 1463 /शि0का0लख0/2002 दिनांक 31.05.03

विषयः द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची के विसंगतियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के समस्त जनपदों में दिनांक 01.04.2002 एवं उसके पश्चात संशोधित द्विवार्षिक मूल्यांकन सूची का परीक्षण मुख्यालय पर कराया गया। परीक्षणोंपरान्त निम्नलिखित विसंगतियाँ मूल्य सूचियों में अभी भी परिलक्षित हो रही है जिनका निराकरण राजस्व अर्जन एवं पारदर्शिता को दृष्टिगत रखते हुए शीघ्रता पूर्वक किया जाना अपेक्षित है। जिलेवार परीक्षण आख्या अलग से शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी। इस कार्यालय के परिपत्र संख्या207/ शि0का0लख0/2002 दिनांक19.12.2002 द्वारा उक्त आशय के निर्देश दिये गये थे, जिनका क्रियान्वयन किया गया प्रतीत नही होता।

1- मूल्य सूचियों में उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए छोटे-छोटे सेगमेंट/पाकेट खसरा नम्बरों को समाहित करते हुए अभी भी नही बनाये गये है।

2- राज्य मार्गो/जनपदीय मार्गो/लिंक मार्गो का नाम देते हुए उन पर पड़ने वाले खसरा नम्बरों को मूल्य सूची में अंकित नही किया गया है।

3- वाणिज्यिक सम्पत्तियों/औद्योगिक सम्पत्तियों का चिन्हीकरण करते हुए विस्तृत रूप से मूल्य प्रदर्शित नही है।

4- आवासीय सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भवनों का मूल्यांकन श्रेणीवार एवं ह्रास/स्क्रैप मूल्य अनेक जनपदों की मूल्यांकन सूची में प्रदर्शित नही है।

5- कृषि भूमि के सम्बन्ध में विक्रीत भूमि की 200 मीटर की त्रिज्या का नक्शा दिये जाने का प्रावधान अधिकतर मूल्यांकन सूचियों में नही है।

6- विक्रीत सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/वाणिज्यिक उपादेयता जानने के लिये आवश्यक है कि विक्रीत सम्पत्ति की चौहद्दी के साथ-साथ 50 मीटर त्रिज्या का नक्शा दिये जाने का भी प्रावधान मूल्य सूची में आदेशित किया जाय।

7- बैनामा मिट्टी के सम्बन्ध में लोक निर्माण विभाग से प्रति धन मीटर मिट्टी की दर प्राप्त कर मूल्य सूची में प्रदर्शित किया जाय।

8- ग्रामीण क्षेत्रों में जिन खसरा नम्बरों में आबादी दर्ज हो चुकी है उन खसरा नम्बरों को भी मूल्य सूची में रखा जाय।

अवगत कराना है कि उक्त बिन्दुओं पर जनपद स्तर पद विचार विमर्श करते हुए मूल्य सूची को और अधिक सुस्पष्ट किये जाने की कार्यवाही वांछित है। जिसको माह जुलाई के प्रथम सप्ताह में प्रत्येक दशा में पूर्ण कर लिया जाए तथा कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराया जाए।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनपद स्तर पर मूल्य सूची को प्रभावी करने हेतु उप निबन्धकों द्वारा रखे गये तथ्यों की अनदेखी कर दी जाती है जबकि उपनिबन्धक द्वारा प्रस्तुत विवरण राजस्व

अर्जन के मामले में महत्वपूर्ण होता है तथा उनके संज्ञान में प्रायः ऐसे तथ्य रहते है जो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में नही होते है। अतः अनुरोध किया जाता है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या 207/शि0का0लख0/ 2002 दिनांक 19.12.2002 के अर्न्तगत निर्देशित कार्याशाला में उपनिबन्धकों को विशेष रूप से सम्मिलित किया जाय तथा उनके द्वारा रखे गये तथ्यों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाए।

उक्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात प्रदेश स्तर पर मूल्य सूचियों के कम्प्यूटरीकरण की कार्यवाही करने हेतु एक वर्कशाप आयोजित की जायेगी जिसमें मूल्य सूची से सम्बन्धित प्रत्येक अधिकारी की उपस्थिति वांछित रहेगी। माह जुलाई के पश्चात किसी भीदशा में मूल्य सूची में कोई परिवर्तन नही किया जायेगा। अतः अनुरोध है कि युद्ध स्तर पर उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हु एसमयान्तर्गत अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

ह0/-

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश शिविर-लखनऊ।

संख्या1463(1-5)/शि0का0लख0/2002 दिनांक 31.5.2002

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, कर एवं निबन्धन, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
4. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त उप निबन्धक, उत्तर प्रदेश।

(प्रभास कुमार झा)

महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प

उत्तर प्रदेश शिविर-लखनऊ।